

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

सचिन कुमार

बनाम

अमीचन्द आदि

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीएक्ट

रिस्टोर प्रकरण संख्या 338

वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
16.07.2024	<p>वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सीपीसी स्वीकार होने पर मूल वादपत्र को पुनः दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। अतः वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। संबंधित पक्षकारान को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली आइन्दा तारीख 20.08.2024 को पेश हो।</p> <p>20.08.2024</p> <p>कृपया न्यायालय उपास्थान/PU माह 20/08/24 को पत्रावली पत्रावली के पेश हो</p> <p>24.10.2024</p> <p>20/12/2024</p> <p>20.12.2024</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित नहीं। वकील वादी व वादी स्वयं को जप-कार उभवाए लगे। फिर भी दायित नहीं। कद नहीं उठस परी-क उठस हाजरी में धारीज भिग जहा हैं। पत्रावली नम्बर से काम की जाकर वाद तारीख तथ्यात्मक जाहदा दाखिल रफतार हो।</p>	

